शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रियान्वित जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनका वरीयताक्रम निर्धारित करने हेतु मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तारीय संचालन समिति की दिनांक 12.05.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

सर्वश्री–

1. राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, मा0 मंत्री, परिवहन विभाग, उ0प्र0 सरकार।
2. कलराज मिश्र, मा0 विधायक, लखनऊ–पूर्वी।
3. श्यामदेव राय चौधरी, मा0 विधायक, वाराणसी–दक्षिणी।
4. अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 विधायक, इलाहाबाद–उत्तरी।
5. सुश्री रीता बहुगुणा जोशी, मा0 विधायक, लखनऊ–कैन्ट।
6. योगेन्द्र उपाध्याय, मा0 विधायक, आगरा–दक्षिणी।
7. सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव, मा0 विधायक, वाराणसी–कैन्ट।
8. प्रदीप माथुर, मा0 विधायक, मथुरा–वृन्दावन।
9. सत्यदेव पचौरी, मा0 विधायक, गोविन्दनगर–कानपुर।
10. सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 विधायक, मेरठ–कैन्ट।
11. रविन्द्र भडाना, मा0 विधायक, मेरठ–दक्षिणी।
12. सतीश महाना, मा0 विधायक, महराजपुर–कानपुर।
13. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, मा0 विधायक, कानपुर–कैन्ट।
14. मोहम्मद रेहान, मा0 विधायक, लखनऊ–पश्चिमी।
15. सतीश कुमार निगम, मा0 विधायक, कल्याणपुर–कानपुर।
16. हाजी परवेज अहमद, मा0 विधायक, इलाहाबाद–दक्षिणी।
17. रविदास मेहरोत्रा, मा0 विधायक, लखनऊ–मध्य।
18. सुश्री अंजुला माहौर, मा0 महापौर, नगर निगम, आगरा।
19. कौशलेन्द्र सिंह, मा0 महापौर, नगर निगम, वाराणसी।
20. अरूण द्विवेदी, प्रतिनिधि श्री प्रकाश जायसवाल, मा0 सांसद, कानपुर।
21. प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
22. शम्भू नाथ शुक्ल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
23. आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
24. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
25. वी0के0एल0 श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
26. सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
27. शिवानन्द ओझा, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
28. श्याम लाल यादव, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

29. उमाशंकर सिंह, अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
30. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
31. वी0यू0विश्नोई, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
32. एन0के0सिंह चौहान, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
33. पी0के0पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
34. एन0पी0सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
35. पी0एन0दुबे, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
36. राजकुमार सचान, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
37. नगेन्द्र प्रताप, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
38. वी0पी0सिंह, निदेशक(का0), सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
39. बी0एल0गौतम, मुख्य अभियंता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
40. सुश्री संगीता मनीष, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, लखनऊ।
41. आर0के0गर्ग, मुख्य अभियंता, उ0प्र0. जल निगम, कानपुर।
42. योगेन्द्र कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
43. एस0के0चौधरी, मुख्य अभियंता, जल निगम, वाराणसी।
44. बी0एस0यादव, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
45. के0के0सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
46. सुशील कुमार, मुख्य अभियंता(का0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
47. सी0एस0चौधरी, महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इ0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
48. राजेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
49. जीतेन्द्र केन, मुख्य अभियंता, नगर निगम, मेरठ।
50. पी0के0 मित्तल, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
51. डा0चिरन्जी लाल, महानिदेशक (का0) परिवार कल्याण, लखनऊ।
52. डा0 उत्तम कुमार, संयुक्त निदेशक, नगरीय।
53. एस0के0दुबे, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
54. एस0के0जैन, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
55. स्वामीनाथ राय, मुख्य पर्यावरण अभियंता।
56. वी0एस0घाघ, परियोजना प्रबन्ध, उ0प्र0 जल निगम, मथुरा।
57. अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
58. के0के0अग्रवाल, टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
59. आर0एन0डे, पीडब्लूपीएचई, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
60. ओ0पी0वर्मा, प्रभारी निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
61. शेखर पाण्डेय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, नगर निगम, कानपुर।
62. आर0के0गौड़ तकनीकी सलाहाकार, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
63. राजीव रस्तोगी, साइंटिस्ट–डी, एन.आई.सी, लखनऊ।
64. सुरेन्द्र सिंह, साइंटिफिक आफीसर, एन.आई.सी, लखनऊ।
65. खुर्शीद अहमद, सूचना अधिकारी, सूचना विभाग, लखनऊ।
66. हरीश नरूला, टेक्नीशियन, नगर निगम, मेरठ।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 समिति के सदस्यगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के उद्‌देश्यों से मा0समिति को अवगत कराया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 समिति को यह अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत मिशन शहरों (आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा) में 33 योजनाएं लागत ₹. 5363.62 करोड़ स्वीकृत की गई है एवं योजनाओं हेतु निर्धारित केन्द्रांश ₹ 2705.46 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2007.02 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है। मिशन शहरों में म्यूनिसिपल रिफार्म्स पूर्ण हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा पूर्व में रोकी गयी ₹ 252.31 करोड़ की धनराशि को जारी किये जाने के प्रस्ताव पर जनवरी, 2012 में स्वीकृत प्रदान कर दी गई है परन्तु उक्त धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त योजनाओं हेतु अवमुक्त ₹ 3639.87 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 3323.51 करोड का व्यय हुआ है। यह भी अवगत कराया गया कि कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2005 से 2012 तक निर्धारित थी, परन्तु स्वीकृत योजनाओं के कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अप्रैल, 2012 में कार्यक्रम की अवधि को दो वर्षों के लिये बढ़ाये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप अप्रैल, 2012 में निर्गत किया जा चुका है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत 33 योजनाओं की अद्यतन् प्रगति का प्रस्तुतीकरण टीम लीडर (प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट), स्थानीय निकाय निदेशालय के द्वारा किया गया तथा योजनाओं के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने एवं उपयोगिता प्रमार्ण पत्रों को प्रेषित किये जाने की प्रस्तावित तिथि से मा0 समिति को अवगत कराया गया। मा0 समिति के सदस्यगण द्वारा अपेक्षा की गई कि पाइप लाइन (पेयजल/सीवर के) बिछाये जाने के कम में काटी गयी सड़कों की मरम्मत के अनुक्रम में पूरी सड़क की पुर्नस्थापना करायी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि योजनाओं के समुचित अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर समिति (जिसमें सम्बंधित मा0सांसद/विधायक/महापौर/नगर निकाय के अध्यक्ष सदस्य होंगे), के गठन के लिये शासनादेश शीघ्र जारी कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों की शिकायतों की जाँच हेतु तकनीकी दल राज्य स्तर पर गठित किया जाय। उक्त स्थिति से अवगत होने के पश्चात समिति द्वारा बैठक के एजेण्डा बिन्दु के निम्नलिखित प्रस्तावों पर अनुमोदन/सहमति प्रदान की गयी :-

1. स्वीकृत योजनाओं की "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी" (आई.आर.एम.ए.) के कार्य हेतु फ़र्म मेसर्स एम.एस.वी. इन्टरनैशनल इन्क., गुड़गाँव के साथ किये गये अनुबंध की समय सीमा 23.9.2011 से 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाये जाने, तथा इस कार्य पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0समिति को यह अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार मिशन शहरों में स्वीकृत 33 स्वीकृत योजनाओं का इरमा कार्य (थर्ड–पार्टी मूल्यांकन) के लिये भारत सरकार द्वारा शार्टलिस्टेड फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु "रिक्वेस्ट फार प्रपोज़ल" (आर.एफ.पी.) का अनुमोदन "परामर्शी मूल्यांकन समिति" द्वारा बैठक दिनांक 12.2.2008 में प्रदान किया गया। शार्टलिस्टेड फर्मों से अनुमोदित आर.एफ.पी. पर प्रस्ताव प्राप्त कर न्यूनतम् निविदा–दाता फर्म मेसर्स एम.एस.वी.इन्टरनैशनल इन्क., गुड़गाँव को इरमा कार्य हेतु नियुक्त किये जाने का अनुमोदन एस.एल.एस.सी. द्वारा बैठक दिनांक 20.7.2009 एवं भारत सरकार की "सी.एस.एम.सी" द्वारा बैठक दिनांक 24.7.2009 में प्रदान किया गया। उक्त कार्य हेतु फर्म के साथ दिनांक 24.9.2009 को दो वर्षों की अवधि के लिये अनुबंध सम्पादित किया गया। कार्यक्रम मार्च, 2012 तक संचालित रहने एवं योजनाओं के पूर्ण न हो पाने के कारण योजनाओं का इरमा कार्य उक्त फर्म से 31 मार्च, 2012 तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति मा0 एस.एल.एस.सी. से प्राप्त कर ली जाएगी। इस कार्य पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से करायी जानी है।

सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति मा0 समिति द्वारा प्रदान की गयी।

2. **"यू.आई.जी." एवं "यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी." कार्यांशों के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के अप्रैल 2012 से मार्च, 2014 तक इरमा कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'शार्टलिस्टेड' फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव**

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यक्रम के "यू.आई.जी" कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के इरमा कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु "आर.एफ.पी." का अनुमोदन "परामर्शी मूल्यांकन समिति" द्वारा बैठक दिनांक 12.2.2008 में प्रदान किया गया। नवम्बर, 2009 में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत 64 योजनाओं में से अधिकतम् लागत की क्रम में चयनित 10 प्रतिशत योजनाओं अर्थात 6 योजनाओं (गाज़ियाबाद रोड्स एण्ड फ्लाई–ओवर योजना, फिरोज़ाबाद सीवरेज योजना, लोनी सीवरेज योजना, लोनी पेयजल योजना, मैनपुरी सीवरेज योजना व बलिया सीवरेज योजना) का इरमा कार्य उक्त फर्म से कराये जाने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 29.12.2010 के द्वारा प्राप्त हुई एवं तद्नुसार उक्त कार्य हेतु फर्म मेसर्स एम.एस.वी. इन्टरनैशनल इन्क., गुड़गाँव के साथ दिनांक 13.5.2011 को अनुबंध सम्पादित किया गया परन्तु इरमा कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.4.2012 द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन की अवधि 2013–14 तक बढ़ाये जाने के

निर्देश प्रसारित किये गये है तथा इन निमार्णाधीन योजनाओं के इरमा कार्य का कराया जाना भी अपरिहार्य होना प्रसारित किया गया।

कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत 32 योजनाएं तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत 53 योजनाएं कतिपय कारणवश अब तक अपूर्ण है। उपरोक्त निर्माणाधीन 32 नग यू.आई.जी. एवं 6 नग यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनाओं के निर्माण कार्य क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना तथा भारत सरकार के द्वारा निर्धारित योजनाओं के इरमा दल द्वारा तिमाही निरीक्षण के मानक के आधार पर भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' फ़र्मो से ''परामर्श मूल्यांकन समिति'' द्वारा 12.2.2008 में अनुमोदित ''आर.एफ़.पी.'' के आधार पर उपरोक्त 'स्कोप आफ़ वर्क' के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कार्यवाही के लिये शासन द्वारा कार्यवाही प्राथमिकता पर किये जाने की अपेक्षा की गई है। ''आर.एफ़.पी.'' पर प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' फ़र्मो से दिनांक 11.5.2012 तक आमन्त्रित किये गये है। इस कार्य पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से करायी जानी प्रस्तावित है।

समयक विचारोपरान्त मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.एल.एन.ए. स्तर पर गठित ''पी.एम.यू.'' एवं ''पी.आई.यू.'' तथा मिशन शहरों में नगर निकाय स्तर पर गठित ''पी.आई.यू'' को मार्च, 2014 तक कार्यरत बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव।

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कुशल संचालन, सफल क्रियान्वयन एवं गहन अनुश्रवण तथा नियमित रिपोर्टिंग हेतु ''एस.एल.एन.ए.'' स्तर पर ''प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू)'' एवं ''प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट'' (पी.आई.यू.) तथा मिशन शहरों में स्थानीय निकाय स्तर पर ''पी.आई.यू.'' के गठन हेतु अगस्त, 2007 में ''टूल–किट्स'' प्रसारित की गई। भारत सरकार की अपेक्षानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.एल.एन.ए. स्तर पर ''पी.एम.यू.'' एवं ''पी.आई.यू.'' के गठन तथा 7 मिशन शहरों में स्थानीय निकाय स्तर पर ''पी.आई.यू.'' के गठन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन एस.एल.एस.सी. द्वारा बैठक दिनांक 4.12.2007 में प्रदान किया गया था तथा भारत सरकार की 'सी.एस.एम.सी.' द्वारा बैठक दिनांक 6.12.2007 में प्रदान किया गया।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की 'सी.एस.एम.सी.' द्वारा बैठक दिनांक 7.9.2011 में कार्यक्रम की अवधि मार्च, 2014 तक बढ़ाये जाने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया। शासनादेश दिनांक 31.3.2012 द्वारा उपरोक्त पी.एम.यू. व पी.आई.यू. को कार्यहित में जून, 2012 तक यथावत् कार्यरत रहने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई कि भारत सरकार से सन्दर्भित प्रकरण में आदेश प्राप्त होने पर इन्हें मार्च, 2014